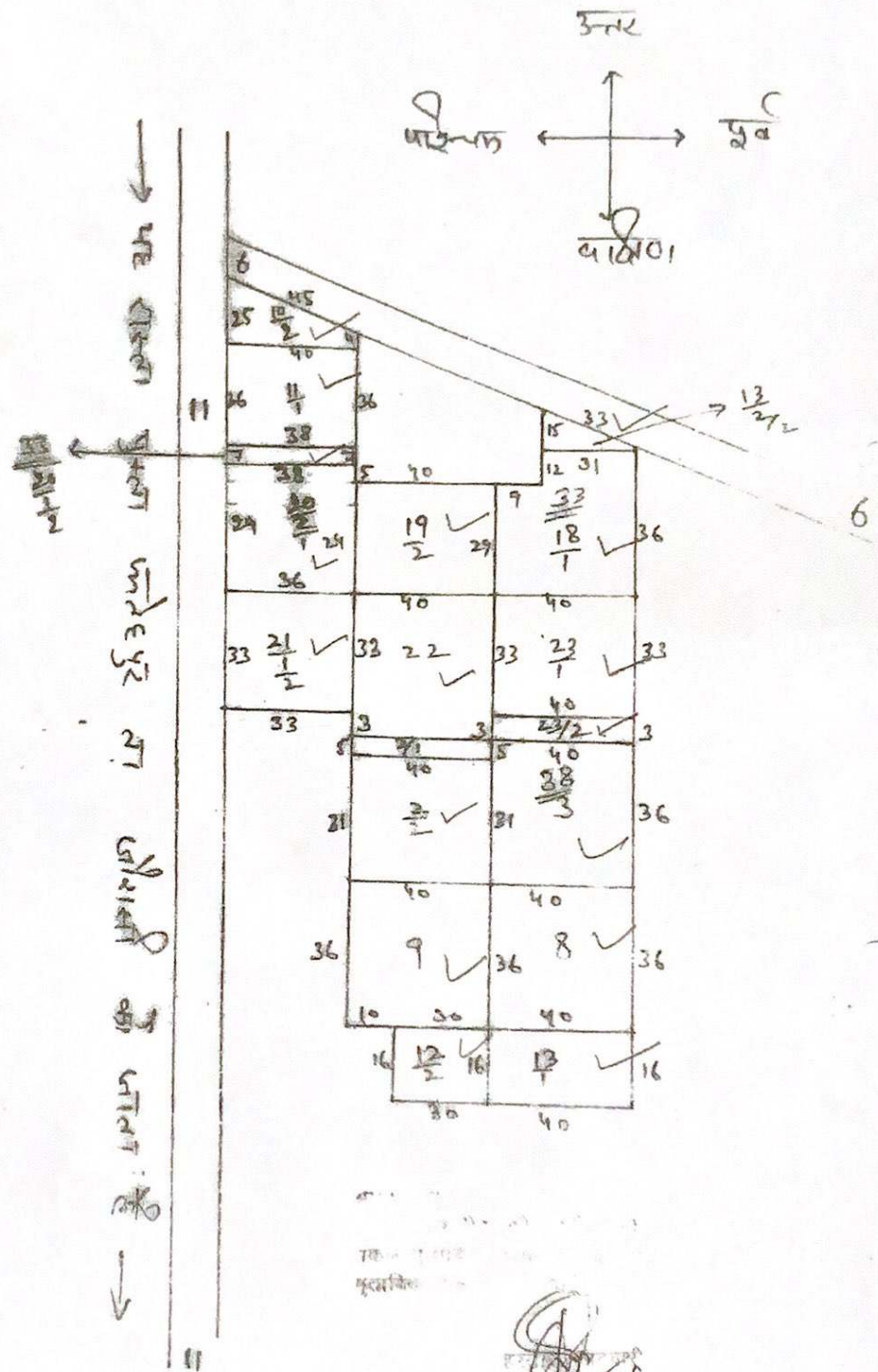


અગ્રણી ડિવિઝન મોજા - જાલેદપુર, ગ્રામ - તાલુકો, જિલ્લો - રાજકોટ ।
 દ.દ.નં - ૩૦



16/4/19

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

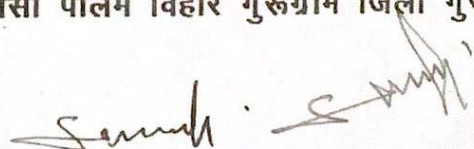
शब्द : 300

रकबा : 30 कनाल 0 मरला

246

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/ केअ02/ 1899 घा0 9/2014 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम का है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015-16 व इंतकाल न. 1077 अराजी खेवट/खाता न. 130/153 मुस्ततील न. 33 कीला न. 19/2(5-7), 22(8-0), 23/2(0-13) व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/2(6-18), 3(8-0), 8(8-0), 9(8-0), 12/2(2-13), 13/1(3-11) किता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 600/1022 भाग रकबा 30 कनाल 0 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह का अकेला मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तीय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम-खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व आर्यन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम एक



प्रलेख नः 246

दिनांक 08/05/2019

डॉड संबंधी विवरण	
डॉड का नाम	TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सब-तहसील तावडु	
गांव/शहर	फतेहपुर
धन संबंधी विवरण	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	E-Challan No.47531001 पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार बकौल

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:56:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जांघू पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मौर सिंह निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री सत्यनारायण जांघू

उप/सयुक्त अधिकारी
तावडु SUB-REGISTRAR

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी आर्यन जांघू दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मिनीरो निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीयत की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/सयुक्त अधिकारी
तावडु

उप/सयुक्त अधिकारी
तावडु

ही परिवार के सदस्य है। जो कि मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र आर्यन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम के हक में हस्तांतरित करता हूँ। कब्जा हस्तांतरित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होंगे। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांतरित दस्तावेज अचल सम्पत्ति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांतरित कर्ता : सत्यनारायण जांघू

ह0 सम्पत्ति ग्रहिता : आर्यन जांघू



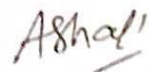


गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार

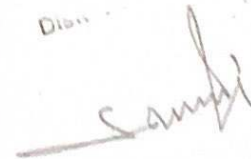
गवाह 2 सचिव S/o मनीष

गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह


Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Dist. Mewat (Hr.)

 करतू


Dion





पंचायती



ग्रामपंचायत



ग्रामपंचायत



उप / सयुक्त पंचायत अधिकारी

पंचायती	सत्यनारायण जाधव		
ग्रामपंचायत	आर्यन जाधव		
ग्रामपंचायत	मनमोहन कुमार नम्बरदार		
ग्रामपंचायत	अशोक कुमार		

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 246 आज दिनांक 08/05/2019 को बही न: 1 जिल्द न: 1,382 के ठ न: 160 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,390 के ठ सख्या 10 से 12 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और ग्राहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुलि मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 08/05/2019

उप / सयुक्त पंचायत अधिकारी
गावड

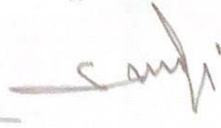
18/11/18

223

पत्र	मूल्य	स्टाम्प	एस.आर.	शब्द	क्लै.रेटर्क.सं.
=====	=====	=====	=====	=====	=====
बयनामा	2968750/-	1,48,500/- माफ	निल	440	

रकबा 3 कनाल 2.5 मरला भूमि अधिग्रहण होने के कारण स्टाम्प माफ
ग्राम फतेहपुर पत्र क्रमांक न. 6156 दिनांक 21.08.2018

मैं सतबीर पुत्र भीरसिंह पुत्र चन्दर निवासी गांव फतेहपुर तहसील तावड़ू जिला नूंह हरियाणा का हूँ। जो कि मैं बरूवे जमाबन्दी साल 2015-16 अराजी खेवट/खाता न. 118/141 मुस्ततील न. 27 कीला न. 21/2(4-14), 22(7-4) मुस्ततील न. 30 कीला न. 1/2(6-9), 2/1(1-12), 9/2(0-18) किता 6 रकबा 20 कनाल 17 मरला का 1/16 भाग रकबा 1 कनाल 6 मरला व खेवट/खाता न. 128/151 मुस्ततील न. 30 कीला न. 2/2(6-8), 8(8-0), 9/1(5-3), 13(2-7), 14(7-4) किता 5 रकबा 29 कनाल 2 मरला का 1/16 भाग रकबा 1 कनाल 16.5 मरला व कुल जोड़ रकबा 3 कनाल 2.5 मरला गांव फतेहपुर तह0 तावड़ू जिला नूंह का अकेला मालिक व काबिज हूँ। अराजी मजकूर पर रहन आड़रहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तिय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तिय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार व पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूँ। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम-खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मुझे अन्य जायदाद वगैरा खरीदने के लिये धन की जरूरत है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता सहित मु0 29,68,750/- रुपये (उनतीस लाख अडसठ हजार सात सौ पचास रुपये) में सत्यनारायण जांघू पुत्र भीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार

Satbir 

प्रलेख नं: 223

दिनांक 03/05/2019

बौद्ध संबंधी विवरण		
बौद्ध के नाम PURCHASE FROM COMPENSATION		
तहसील/तहसील तावडु	गांव/ग्राम फतेहपुर	स्थित फतेहपुर
धन का विवरण		
धूमि का विवरण		
चाही	3 Kanal 2.5 Marla	
धन संबंधी विवरण		
राशि 2,968,750.00 रुपये	कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 0.00 रुपये	
स्टाम्प नं.	स्टाम्प की राशि 0.00 रुपये	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 0.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये	

Drafted By: अशोक कुमार बकशील

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 03/05/2019 दिन शुक्रवार समय 12:35:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी मन्वोर पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मोहिब निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

Satbir
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/सर्वोक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामिण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 को धारा 7-ए के अन्तर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामिण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 को धारा 7-ए के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ती प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक

Satbir
श्री मन्वोर

उप/सर्वोक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

उपरोक्त विवेकाय श्री/श्रीमती/कुमारी सफावरण बंधू केता हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0.00 रुपये की राशि केता ने मेरे समक्ष विवेका को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मन्वोर कुमार नम्बर पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी नं: 1 को हम नम्बर/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नं: 2 की पहचान करता है।

दिनांक 03/05/2019

उप/सर्वोक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत बखीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/सर्वोक्त पंजीयन अधिकारी
तावडु (सेवाय नई)

Revenue Department Haryana

HARIS-EX

NIC-HSU

गुरुग्राम जिला गुरुग्राम हरियाणा को बय व कतई फरोख्त करता हूं। कब्जा अराजी मुबईया पर क्रेता का मौके पर करा दिया है। सर्वबयघन मु0 2968750/- रुपये (उनतीस लाख अडसठ हजार सात सौ पचास रुपये) में क्रेता बजरिये चैक न01.69147 दिनांक 03.05.2019 पहले प्राप्त कर चुका हूं। अब मेरी कोई राशि क्रेता के जिम्मे बकाया नहीं रही है। अब मेरा अराजी मुबईया से कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। क्रेता को मैंने अपनी मांति उपरोक्त अराजी का पूर्ण रूप से मालिक काबिज बना दिया है। अगर इस बय में कोई बाधा पड़ेगी या मेरी मलकियत की कमी के कारण अराजी मुबईया का कब्जा क्रेता से निकल जावेगा या उपरोक्त अराजी पर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा वगैरा निकला तो उस सूरत में भी, मैं व मेरे वारसान व अन्य सम्पति क्रेता की हानि हर्जा खर्चा के अदा करने के जिम्मेवार रहेंगे। लागत स्टाम्प फीस आदि क्रेता ने की है। अतः यह बयनामा होश हवास सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद् रहे। दिनांक 03.05.2019

ह0 विक्रेता : सतबीर

Satbir

ह0 क्रेता : सत्यनारायण जांधू

Sandhu

गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार फतेहपुर गवाह 2 अशोक पुत्र गिनौरी

Manjesh
Gurbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Talwara
Distt. Haryana (Hr.)

निवासी फतेहपुर

Ashok

Sandhu



विशेषज्ञ



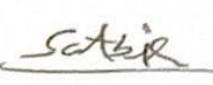
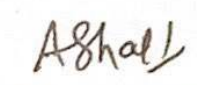
वेनरा



गवाह



उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी

विशेषज्ञ	साथी		
वेनरा	सत्यनारायण चौधरी		
गवाह	मनमोहन कुमार कन्दलार		
गवाह	अरवि		

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 223 आज दिनांक 03/05/2019 को बही न: 1 जिल्द न: 1,382 के पृष्ठ न: 154 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,389 के पृष्ठ सख्या 40 से 42 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुलि मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 03/05/2019



उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी
ताबड़

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300

रकबा : 19 कनाल 3 मरला

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.08.2014 संख्या का0आ0 62/ केअ02/ 1899 घा0 9/2014 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभावी स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम की है। जो कि मैं बरुये जमबान्दी साल 2015-16 अराजी खेवट/खाता न. 130/153 मुस्ततील न. 33 कीला न. 19/2(5-7), 22(8-0), 23/2(0-13) व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/2(6-18), 3(8-0), 8(8-0), 9(8-0), 12/2(2-13), 13/1(3-11) कित्ता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 3/8 भाग रकबा 19 कनाल 3 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आइरहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तीय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है। कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम-खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwanti

Sachin

प्रलेख नः 244

दिनांक 08/05/2019

डीड संबंधी विवरण

डीड का नाम **TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION**
तहसील/सब-तहसील तावड़
गांव/शहर फतेहपुर

धन संबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.4753289(पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार बकौल

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:51:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमति रजनी देवी जून्
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जून् निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमति रजनी देवी जून्

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जून् दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर
तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी रजनी देवी जून् पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिरी निवासी फतेहपुर ने की।
साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत दस्तावेज की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

उप / संयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावड़

मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र भीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम के हक में हस्तांतरित करती हूँ। कब्जा हस्तांतरित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होंगे। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांतरित दस्तावेज अचल सम्पत्ति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांतरित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू

ह0 सम्पत्ति ग्रहिता : सचिन जांघू

Rajwanti

Sachin

गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार

गवाह 2

अलोक २/१० सी-तेह

गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

फतेहपुर

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Dist. Mewat (Hr.)

Ashok

AS
Diott



पेशकर्ता



दावेदार



गवाह



उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमति राजवंशी जांघू		<i>Pay went</i>
दावेदार	सचिन जांघू		<i>Chin</i>
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार		<i>Mandesh</i>
गवाह	अशोक		<i>Ashok</i>

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 244 आज दिनांक 08/05/2019 को बही न: 1 जिल्द न: 1,382 के ठ न: 160 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,390 के ठ सख्या 4 से 6 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुल मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 08/05/2019

[Signature]

उप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी
तावेडु

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी

गांव/नगर का नाम : फतेहपुर

शब्द : 300

रकबा : 3 कनाल 3 मरला

247

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/ केअ02/ 1899 घा0 9/2014 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम की है। जो कि मैं बरूये जमबान्दी साल 2015-16 व इंतकाल न. 1002 तकसीम मंजूरशुदा अराजी खेवट/खाता न. 129/152 मुस्ततील T. 33 कीला न. 13/2/2(1-6), 18/1(7-8), 23/1(7-7), व मुस्ततील न. 38 कीला न. 2/1(1-2) किता 4 रकबा 17 कनाल 3 मरला का 33/343 भाग रकबा बयकदर रकबा 3 कनाल 3 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह की अकेली गालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आडरहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तीय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किसी के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर पर कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी को मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई गुखागारआग-खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार से पाक व साफ है। मैं व सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू पुत्र रामगेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Rajwant

Sant

प्रलेख नः 247

दिनांक 08/05/2019

होद संबंधी विवरण	
होद का नाम	TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सब-तहसील	तावड़
गाँव/शहर	कांठपुर
धन संबंधी विवरण	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	E-Challan No.4753264; पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: अशोक कुमार बकौल

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:59:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती राजवन्ती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जन्म निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमती राजवन्ती

उप/सर्वेक्षक/पंजीयन अधिकारी

तावड़

उपरोक्त पंजीकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण जन्म राखेर हजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों को पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी मनजेश कुमार नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गिरीश निवासी फतेहपुर ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 को पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत बरखेका को स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/सर्वेक्षक/पंजीयन अधिकारी

तावड़

उप / सर्वेक्षक/पंजीयन अधिकारी

तावड़

मेरा पति है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने पति सत्यनारायण जांघू पुत्र गीरसिंह जांघू पुत्र राममेहर जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम के हक में हस्तांत्रित करती हूँ। कब्जा हस्तांत्रित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होंगे। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांत्रित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांघू ह0 सम्पत्ति ग्रहिता : सत्यनारायण जांघू

Pay went

गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार

गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

गवाह 2 अक्षय सिंह

Ashay

DRAFTED BY
ASHAY
Distt. Court, Mewat

Reg. No.

247

Reg. Year

2019-2020

Book No.

1



पेशकर्ता



दावेदार



गवाह



उप / सयुक्त पंचायत अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमती रामवन्ती		Pray want
दावेदार	सत्यनारायण जोगू		Sanj
गवाह	मनजेश कुमार नम्बरदार		Manjesh
गवाह	अशोक कुमार		Ashok

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 247 आज दिनांक 08/05/2019 को बही न: 1 जिल्द न: 1,382 के पृष्ठ न: 161 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,390 के पृष्ठ सख्या 13 से 15 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुलि मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 08/05/2019

उप / सयुक्त पंचायत अधिकारी
ताबड़

हस्तांत्रित दस्तावेज अचल सम्पत्ति/खून के रिश्ते में।

किस्म जमीन : अराजी
गांव/नगर का नाम : फतेहपुर
शब्द : 300
रकबा : 10 कनाल 17 मरला

245

नोट : हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 16.06.2014 संख्या का0आ0 62/केअ02/ 1899 घा0 9/2014 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट है।

मैं श्रीमति राजवन्ती जांघू पत्नी सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम की है। जो कि मैं बरुये जमबान्दी साल 2015-16 ईतकाल न. 1002 तकसीम मंजूरशुदा अराजी खेवट/खाता न. 129/152 मुस्ततील न. 33 कीला न. 13/2/2(1-6), 18/1(7-8), 23/1(7-7), व मुस्ततील न. 31 कीला न. 2/1(1-2) किता 4 रकबा 17 कनाल 3 मरला का 217/343 भाग रकब बयकदर रकबा 10 कनाल 17 मरला वाका मौजा फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह क अकेली मालिक काबिज हूं। अराजी मजकूर पर रहन आडरहन व अन्य किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई भार नहीं है। उपरोक्त अराजी किसी बैंक, वित्तीय संस्था या किसी भी विभाग में किसी भी अदालत के हुक्म से जमानत पर नहीं दी हुई है कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रकबा सरपल्स, कुर्क एक्वायर शुदा नहीं है। किस के साथ सौदाबय, इकरारनामा, रसीद वगैरा नहीं किये हुए है। अराजी मजकूर प कोई कास्तकार पटटेदार नहीं है। मौके पर मैं ही काबिज हूं। उपरोक्त अराजी व मैंने किसी के हक में डिग्री नहीं की हुई है और ना ही किसी के हक में कोई मुख्तयारआम-खास वगैरा किये हुये है। यानि अराजी मजकूर हर प्रकार के भार पाक व साफ है। मैं व सचिन जांघू पुत्र सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि

Raywant

Singh

प्रलेख नं: 245

दिनांक 08/05/2019

टीड संबंधी विवरण	
टीड का प्रम	TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सम-तहसील तालुका	
गांव/सहर	फतेहपुर
घन संबंधी विवरण	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये E-Challan No.4753279(चेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये	

Drafted By: अशोक कुमार बकौल

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख अद्य दिनांक 08/05/2019 दिन बुधवार समय 1:53:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती राजवती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सान्तराज नन्दा निवासी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री श्रीमती राजवती

उप/सर्वोक्त पंजीकरण अधिकारी
तावड़

उपरोक्त प्रस्तुतकर्ता श्री/श्रीमती/कुमारी राजवती नन्दा निवासी फतेहपुर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी सान्तराज नन्दा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी फतेहपुर श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी फतेहपुर ने की।
साक्षी नं: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नं: 2 की पहचान करता है।

दिनांक 08/05/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसूली की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/सर्वोक्त पंजीकरण अधिकारी
तावड़

उप/सर्वोक्त पंजीकरण अधिकारी
तावड़

Revenue Department Haryana

HARIS-EX

NIC-IISU

मेरा सगा पुत्र है। अतः अब मैं अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से अपनी अराजी मजकूर को हक रास्ता व सर्व अधिकार सहित अपने सगे पुत्र सचिन जांधू पुत्र सत्यनारायण जांधू पुत्र मीरसिंह जांधू निवासी पालम विहार गुरुग्राम जिला गुरुग्राम के हक में हस्तांतरित करती हूँ। कब्जा हस्तांतरित की हुई उपरोक्त अराजी पर सम्पत्ति ग्रहिता का मौके पर करा दिया है और अपने जैसा मालिक काबिज बना दिया है। सम्पत्ति ग्रहिता उपरोक्त अराजी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। उपरोक्त अराजी की बाबत जो हक हकूक मुझे हासिल थे वे तमाम हक हकूक, अराजी मजकूर के आज के बाद सम्पत्ति ग्रहिता को हासिल होंगे। वह इस अराजी को किसी अन्य को बय करें, मुझे कोई उजर व एतराज नहीं होगा। अब मेरा उपरोक्त अराजी से कोई ताल्लुक वास्ता किसी प्रकार का नहीं रहा है। अतः यह हस्तांतरित दस्तावेज अचल सम्पत्ति मैंने होश-हवाश सुन व समझकर गवाहों के सामने लिख दिया है कि सनद रहे। तावडू दिनांक 08.05.2019

ह0 हस्तांतरित कर्ता : श्रीमति राजवन्ती जांधू

ह0 सम्पत्ति ग्रहिता : सचिन जांधू

Rajwanti

गवाह 1 मनजेश कुमार नम्बरदार

गांव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूंह

Manjesh
Sarbaraha Numberdar
Manjesh Kumar
Vill. Fatehpur Teh. Tauru
Distt. Mewat (Hr.)

Sachin

गवाह 2 अर्जुन S/p मे-114

फतेहपुर

Arjun

DRAFTED BY
[Signature]

Samh

Reg. No.
245

Reg. Year
2019-2020

Book No.
1



पेशकर्ता



दामेदार



गवाह



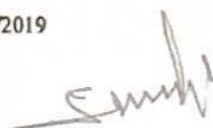
उप / संपुक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता	श्रीमती राजवन्ती		Rajwanti
दामेदार	रविचंद्र जय		Ravichandrar
गवाह	मनमोहन कुमार गम्हारदार		Manmohan
गवाह	अशोक कुमार		Ashok

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 245 आज दिनांक 08/05/2019 को बही न: 1 जिल्द न: 1,382 के पृष्ठ न: 160 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,390 के पृष्ठ सख्या 7 से 9 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुष्ठ मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 08/05/2019



उप / संपुक्त पंजीयन अधिकारी
तापडु

✓

[illegible]

1091	129	पती भेंदा	श्रीमती राजवती पती	घरदार
मिन			सतनारापण ज्ञाना पुत्र	

13/2/22 ✓

सत्यनारायण जीषू पुत्र
नीर सिंह भांग

13/242
1-6 ਵਾਨੀ

245/1

2

08-May-2019

15/05/2019

याकी बदला
18/49 भाग

7-7 ਬਾਨੀ

18/49 पृष्ठ

7-7 चाही
3811

2/1

4/21

2/1
1-2 वर्षों



100

71-

一

1

17-3

17-3

291

11504

10-17-0

प्राचीन की उत्पत्ति
प्र प्राचीन प्रसन्न है। उ. प्र.
प्राचीन नन्द (प्राचीन)

31/5/19

